"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च 2016—— चैत्र 10, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 (चैत्र 10, 1938)

क्रमांक-3962/वि.स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) जो बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 17 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची

(धारा 2 देखें)

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	(एक) मुख्यमंत्री का वेतन	रुपये 35,000 प्रतिमास
	(दो) मंत्री का वेतन	रुपये 30,000 प्रतिमास
	(तीन) राज्य मंत्री का वेतन	रुपये 28,000 प्रतिमास
	(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव का वेतन	रुपये 21,000 प्रतिमास
धारा 4(1)	(एक) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन
	(दो) मंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन
	(तीन) राज्य मंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन
	(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन
धारा 4(2)	(एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
	(दो) मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
	(तीन) राज्य मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
	(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, शासन का दृष्टिकोण है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव के मासिक वेतन, दैनिक भत्ता तथा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता को पुनरीक्षित किया जाये. अतएव, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 30 मार्च, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये 4.00 करोड़ (रुपये चार करोड़) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 2(क) के अधीन अनुसूची का सुसंगत उद्धरण -

"अनुसूची
[धारा 2 (क) देखें]

धारा (1)	वेतन तथा भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 3	(एक) मुख्यमंत्री का वेतन	रुपये 30,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों के वेतन	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों के वेतन	रुपये 25,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन	रुपये 20,000 प्रतिमाह
धारा 4(1)	(एक) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(दो) मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(तीन) राज्य मंत्रियों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन
धारा 4(2)	(एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(दो) मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(तीन) राज्य मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह
	(चार) उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमाह"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.